न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. – 481/2023
जीसीएमएस नम्बर – 2023/570

अपीलार्थी

1. गणपतराम पुत्र रूपाराम
2. मलाराम पुत्र रूपाराम

जातियान् माली, निवासीगण चौकड़ी कला, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल चौकड़ी कला तहसील पीपाड़ शहर।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 27.07.2018 मुकदमा संख्या 74/2017 (34/2018) में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अभिभाषक श्री बी एस भंवरिया (अपीलार्थीगण)।

–: आदेश :– दिनांक :– 17.05.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश दिनांक 27.07.2018 मुकदमा संख्या 74/2017 (34/2018) में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी चौकड़ी कला में राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने की शिकायत पर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया गया, जिस पर दिनांक 11.07.2017 को तहसीलदार पीपाड़ शहर ने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया, तत्पश्चात् दिनांक 18.09.2017 को पत्रावली फैसल शुमार कर दी गई। तत्पश्चात् राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर ने निर्णय दिनांक 24.05.2017 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में विस्तृत जांच कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करने के आदेश पर पत्रावली दिनांक 02.07.2018 को पुनः दर्ज की गई। आगामी तारीख [illegible] 17.07.2018 को अपीलार्थीगण की ओर से अधीवक्ता [illegible] उपस्थित हुए और मौके की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested

वास्तविक स्थिति जानने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने बाबत् एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत किया और जवाब के लिए समय चाहा। इसके पश्चात् आगामी पेशी दिनांक 27.07.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को बेदखल करने और कुल 20 रुपये जुर्माने का आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया तथा मूल अभिलेख तहसीलदार पीपाड़ शहर से तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थीगण अभिभाषक की बहस दिनांक 22.04.2024 को सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.05.2024 को रखी गई।

अपीलार्थीगण अभिभाषक ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिविरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा दिनांक 02.07.2018 को प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित किया गया परन्तु दिनांक 02.07.2018 की आदेशिका पर तहसीलदार पीपाड़ शहर के हस्ताक्षर ही नहीं है। हस्ताक्षर के अभाव में 02.07.2018 को जारी किये गये नोटिस विधिविरुद्ध होकर शून्य है। अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौके की वास्तविक स्थिति जानने के लिये मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया लेकिन जवाब पेश करने का मौका नहीं दिया गया। अन्त में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 को अपास्त करने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम चौकड़ी कला खसरा नं0 614 रकबा 0.01 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती है। अपीलार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए तथा जवाब के लिए समय चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 10 दिवस का समय दिया गया फिर भी अपीलार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब का अवसर बन्द कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:35:37 IST
Reason: SelfAttested